शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 अप्रैल 2018
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

महिला सशक्तिकरण में महिला शिक्षा की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

नेहा सिंह
समाजशास्त्र विभाग,
वनस्थली विद्यापीठ
राजस्थान, भारत

शोध संक्षेप

नारी मानव जाति की जननी और दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। भारतीय संस्कृति में समाज के इस हिस्से को सदैव ही अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में तो महिलाओं को 'देवी' तुल्य समझा जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही ब्राह्मणों द्वारा हिन्दु धर्म की रक्षा एवं स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाये रखने हेतु महिलाओं के सम्बन्ध नियमों को कठोर बना दिया गया था। धीरे-धीरे समाज में महिलाओं की यह स्थिति दयनीय होती गई। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही कुछ चिन्तनशील व्यक्तियों जैसे राजाराम मोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशव चन्द्रसेन आदि ने भारतीय समाज में स्थिति में बदलाव हेतु उनके हक में कानून बनाये गये। महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा कई प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए गए। इन विकास कार्यक्रमों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना इन्दिरा विकास योजना महिला समृद्धि योजना आदि प्रमुख हैं।

समाज और राष्ट्र के स्वस्थ एवं संतुलित विकास में महिलाओं की भूमिका एवं उसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। माँ की भूमिका में एक महिला अपने बच्चों के व्यक्तित्व एवं चरित्र को जिस रूप में ढालती है, जैसा आकार प्रदान करती है, वैसे ही राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में महिलाएं लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इस दृष्टि से कोई भी समाज, महिलाओं में विद्यमान संभावनाओं की अनदेखी कर अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है।

विगत वर्षों में विश्वभर की सरकारें महिला सशक्तिकरण के अभियान में पूरे जोर-शोर से जुटी दिखती हैं। इससे सम्बन्धित गतिविधियाँ विगत एक दशक से अपने चरम स्तर पर है। विभिन्न संगठनों व मंचों के माध्यम से सरकार शक्तिहीन महिलाओं को सबल बनाने की प्रक्रिया में अपनी सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रही है। भारतीय परम्परा में नारी को सम्मान पूर्ण दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रन्थों में महिलाओं को शक्तिरूप, लक्ष्मीरूपा, सरस्वती रूपा, अन्नपूर्णारूप में वर्णित करने के बावजूद देश की अधिकांश

महिलायें उपेक्षिता, वंचिता, पराजिता, शक्तिहीनता की स्थिति में है। आज उन्हें अनेक स्तर पर हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, लैंगिक हिंसा, लैंगिक आक्रमण, दुर्व्यवहार, कुपोषण आदि का शिकार होना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, आत्म-विश्वास व शासकीय संस्थाओं में सहभागिता आम महिलाओं की पंहुच से अभी भी बहुत दूर है। इनतथ्यों के आलोक में महिलाओं का सशक्तिकरण नीति निर्धारकों के साथ-साथ समूचे समाज के लिए महत्वपूर्ण मसला बन गया है।[1]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नारी

महिला समाज की स्थिति का समुचित परिचय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न कालों में उसकी प्रस्थिति को मूल्यांकित किया जाए। विधाता ने नारी एवं पुरूष वर्ग की रचना एक साथ की है, फिर भी पुरूष और नारी की सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्थिति में पुरूष और नारी की सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्थिति में पुरूष का पलड़ा भारी रहा है।

वैदिक काल के पूर्व एवं वैदिक काल में नारी का समाज में विशिष्ट स्थान था। नारी को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में उच्च स्थान प्राप्त था। यह आत्मिक उत्थान तथा बौद्धिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र थी। वह हर धार्मिक एवं सामजिक आयोजन में सहभागिनी होती थी। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। जिनके अन्तर्गत माता-पिता द्वारा एक सुशील एवं प्रतिभाशाली पुत्री प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक अनुष्ठान पूजा-व्रत इत्यदि किए जाते थे वैदिक काल में पुत्र-पुत्री के पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा में भेदभाव नहीं था एवं बाल-विवाह का प्रचलन भी नहीं था। आजीवन कुवारी रहने की इच्छा पर पुत्री को पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार भी प्राप्त था। ऋग्वेद काल में कहीं भी पुत्री जन्म की उपेक्षा नहीं की जाती थी। महिलायें सामाजिक व धार्मिक समारोह में पुरूष का सहयोग करती थीं। नारी के बिना सभी अनुठान अपूर्ण समझे जाते थे। यही नहीं महिलायें युद्ध में पुरूष का साथ देती थीं। वैदिक काल में उत्तरार्द्ध में मनु द्वारा स्त्री को शारीरिक व नैतिक दृष्टि से दुर्बल माना गया।[2]

उपर्युक्त विवरण द्वारा स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में स्त्रियों को जो सम्मान प्राप्त था उसे स्मृतिकाल तक आते-आते प्रतिबंधित कर दिया गया। स्त्री के अधिकारों की कटौती का क्रम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दृष्टिगोचर होता है, जिसमें वैश्यावृत्ति को राज्य द्वारा संचालित करने का तथ्य उजागर किया गया। इस प्रकार नारी की स्थिति को इस स्थिति में भी सामाजिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।[3]

बौद्धकाल में नारी की स्थिति में अवश्य सुधार हुआ। उन्हें शिक्षा विवाह और धार्मिक कृत्यों में अपेक्षाकृत सहभागिता प्राप्त हो गई। उन्हें बौद्ध संघों में प्रवेश दिया जाने लगा।

मध्ययुग में इस्लामी शासन के दौरान स्त्रियों की स्थिति उत्तरोतर गिरती गई। स्त्रियों से यह आशा की जाने लगी कि वे न केवल शारीरिक रूप से अपितु, मानसिक रूप से भी पवित्र रहे, ताकि उनकी अच्छी संताने हो सके। इस युग में कई कारणों से पत्नी को परित्याग भी किया जाता था। यद्यपि इस युग[4] में कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी थी जो शासन प्रबन्ध में अपनी पूर्ण सहभागिता निभाती थी। मध्यकाल में भारतीय समाज में नारी की गरिमा में गिरावट आ गई थी अतः वह नारी, जो वैदिक काल में शास्त्रार्थ करती थी, धीरे-धीरे अशिक्षा के अंधकार में विलीन होती चली गई।

अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय समाज में महिलाओं के विकास का सूत्रपात हुआ नारी को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। 19वीं सदी में नारी समाज ने नारी मुक्ति के लिए भरसक प्रयास किया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल से लेकर स्वतंत्रोत्तर काल तक महिलाओं की स्थिति में अनेक उतार-चढ़ाव आए। हर काल में महिलाओं की सशक्तता का परिचय मिलता है। परन्तु विभिन्न वर्गों की स्त्रियों पर समान रूप से इसके प्रभाव नहीं मिलते हैं। इसीलिए स्त्रियों की स्थिति पर सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का व्यापक अनुमान लगाना सरल नहीं। सम्पूर्ण ऐतिहासिक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा नई नहीं है। वरन् समयसमय पर इसके अलग-अलग उदाहरण मिलते हैं।

महिला शक्तिकरण की अवधारणा[6]

महिला सशक्तिकरण हाल के वर्षों में सामाजिक विकास के संदर्भ में एक केन्द्रिय मुद्दे के रूप में पहचाना जाने लगा है। जिसके माध्यम से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक राजनैतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रयास प्रारम्भ हो गये हैं।[7]

किसी एक दृष्टि यथा व्यक्तित्व के किसी एक पहलू से महिलाओं को शक्तिशाली बनाकर सशक्त नहीं किया जा सकता। उनका सर्वांगीण विकास करके ही देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में कई बातें मिलकर महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को पूर्ण करती है। यथा अधिक अवसर, सम्पत्ति का अधिकार, राजनैतिक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत अधिकार आदि वस्तुतः महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा व्यक्तिगत रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। जिससे वो किसी भी स्थिति का सामना कर सके।[8]

सरोज कुमार वर्मा के अनुसार, "महिला सशक्तिकरण को महिला विमर्श कहती है। स्त्री सशक्तिकरण वर्तमान दुन्या का बेहद जरूरी विमर्श है। चूंकि यह स्त्री की स्वतंत्रता समानता, मजबूती तथा महत्ता का हिमायती है। इसलिए इसे सम्पूर्ण मानव जाति के आधे हिस्से की बेहतरी से जड़ विमर्श कहा जा सकता है।9 महिलाओं को सबल बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इसके लिए सरकार ने कई नीतियाँ, कानून कार्यक्रम बनाए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

महिलाओं को सशक्त व एकजुट करने का सर्वप्रथम प्रयास रूस की क्रान्तिकारी नेता क्लारा जेटकिन ने किया। क्लारा जेटकिन ही व महिला थी जिसने सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए।

यू.एन.ओ. ने 1945 व 1948 में महिला पुरूष के बराबरी के सिद्धानत को स्वीकृति प्रदान कर दी। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष तथा 1975-85 के दशक को महिला दशक घोषित कर दिया। इस सम्मेलन में संपूर्ण में एक मील का पत्थर माना जा सकता है। इस सम्मेलन में संपूर्ण संसार की महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की बात को स्वीकारा गया।

राष्ट्रीय प्रयास

सरकार ने लैंगिक समानता एवं लैंगिक न्याय के सिद्धान्त को मानते हुए महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न नीतियों कानूनों, कार्यक्रमों, योजनाओं को प्रारम्भ करवाया, जिसे संक्षिप्त चर्चा द्वारा समझा जा सकता है।

भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण

भारत के संविधान में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में लैंगिक समानता को बनाये रखने के लिए महिलाओं से सम्बन्धित कई प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार के तहत् देश के सभी स्त्री एवं पुरूष को राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में समानता का अधिकार एवं अनुच्छेद 15(3) तहत राज्य को महिलाओं के पक्ष में 'सकारात्मक विभेद' का अधिकार दिया है।

वैधानिक प्रयास - अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय नीति को अमलीजामा पहनाने के लिए एवं महिलाओं को समाज में सबल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाये गये हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा चलायी गयी कुछ मुख्य योजनायें

1. इवाकारा योजना (1982) - ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करते हुए उनके स्वास्थ्य शिक्षा, पोषाहार, स्वच्छता तथा शिशुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करने हेतु।

2. न्यू माडल चरखा योजना (1987) - ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करने हेतु।

3. नाबार्ड प्रशिक्षण योजना (1989) - महिलाओं को विभिन्न व्यवहारी, जैसे दरी, चिकन, ब्लाक, प्रिंटिंग।

4. महिला समृद्धि योजना (1993) - ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालना और उन्हें सश्क्त बनाना।

5. किशोरी बालिका योजना (1992) - गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं की प्रसूति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।[10]

शिक्षा का महत्व

शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन को उन्नत एवं सभ्य बनाती है तथा व्यक्ति के जीवन को आनन्ददायक बनाने तथा सामाजिक कल्याण में सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षा ही वह महत्वपूर्ण साधन है। जिससे समाज में शीघ्रगामी विकास अच्छे मूल्यों का संचार सामाजिक न्याय अवसरों की समानता प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

निःसंदेह शिक्षा ही वह सशक्त हथियर है, जो नये समाज को स्थापित करने में सक्षम है एवं व्यक्ति और समाज में चेतना जाग्रत कर उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण साधन भी है। शिक्षा न केवल जड़ को चैतन्य बनाती है, अपितु, व्यक्ति के दिव्य अंश को उद्घाटित भी करती है।

यह सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास का सतत् प्रवाह है। इसीलिए शिक्षा का ध्येय मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। जहां शिक्षा सामाजिक गतिशिलता की गति प्रकृति और स्वरूप तीनों को प्रभावित करती है।[11]

वर्तमान में महिलाओं में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी ने उच्च शिक्षा के प्रति महिला अनुक्रियाशीलता को निश्चित ही बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से पुरूष की संख्या में वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है तथा महिलाएँ भी शिक्षा द्वारा लाभान्वित हो रही है।[12]

सारणी संख्या 1.1

भारत में कुल नामांकन व महिला नामांकन की स्थिति

सत्र्	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिला नामांकन प्रतिशत
1950-51	3,96,745	43,126	10.9%
1960-61	10,49,864	1,40,455	16.2%
1970-71	19,53,700	4,30,822	22.1%
1980-81	27,52,437	7,48,525	27.2%
1990-91	49,24,868	15,56,258	31.65%
2000-01	83,99,443	33,06,410	36.4%

स्रोत : यू.जीसी यूनिवर्सिटी डवलपमेंट इन इण्डिया बैसिक फैक्टर्स एण्ड फिगर्स, 2003

सारणी संख्या 1.2

स्नातकोत्तर स्तर पर महिला नामांकन

कुल नामांकन	महिला नामांकन	प्रतिशत
9,13,732	3,85,440	42.18%

स्रोत : यू.जी.सी वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04

उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है। परास्नातक एवं शोध के क्षेत्र में भी महिलाओं की संख्या में भी नामांकन बढ़ा है।

सारणी संख्या 1.3

स्नातकोत्तर स्तर पर महिला नामांकन

कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिला नामांकन प्रतिशत
कला संकाय	20,41,706	1.01%
विज्ञान संकाय	8,09,368	20.22%
वाणिज्य संकाय	6,57,382	16.43%

स्रोत : यू.जी.सी वार्षि रिपोर्ट, 2003-04

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक संकाय में छात्राओं की बढ़ोत्तरी लगातार हो रही है तथा वे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले रही हैं। वहीं भारत में महिला साक्षरता दर (सारणी सं. 1.4) को देखे तो स्पष्ट होता है कि पिछले पांच दशकों में साक्षरता दर में लगभग 46 प्रतिशत वृद्धि हो रही है। जिसे सारणी सं. 1.4 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 1.4

भारत में महिला साक्षरता दर (विभिन्न वर्षों में)

वर्ष	साक्षरता दर
1951	8.66
1961	15.35
1971	21.97
1981	29.76
1991	35.29
2001	54.16
2011	65.5

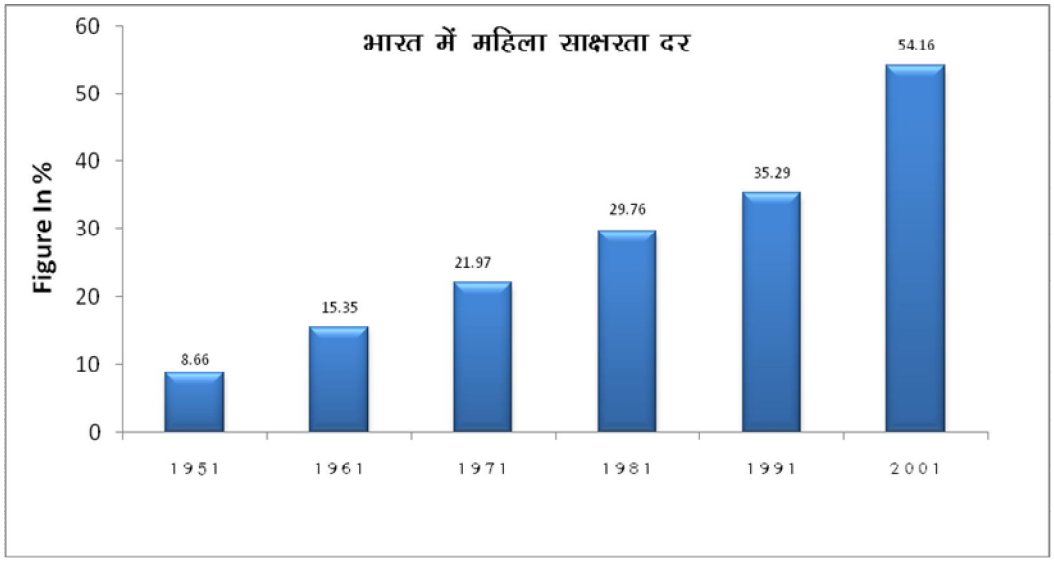

स्रोत : यू.जी.सी. वार्षिक रिपोर्ट

उपर्युक्त सारणियों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि जहां साक्षरता दर बढ़ रही है, वहीं शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है। संभवतः जो महिला सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है।

समस्या कथन

समाज में स्त्री विषयक सोच एवं समाज में स्त्री की स्थिति, ये दो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले पक्ष हैं, जो मूलतः सशक्त हैं। लेकिन जिसे अशक्त बना दिया गया। समाज के संतुलित, सम्यक और स्वस्थ विकास के लिए उसे पुनः सशक्त बनाना अत्यन्त आवश्यक है। शक्तिशाली को शक्तिहीन बनाने की अपेक्षा अशक्त को सशक्त बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है। इसलिए स्त्री सशक्तिकरण को एक सामाजिक अभियान के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। स्त्री सशक्तिकरण विषयक विमर्श इस आकांक्षा से संचालित है कि सामाजिक सभी क्षेत्रों में स्त्री के अस्तित्व को मनुष्य के रूप में वास्तविक और व्यवहारिक स्वीकृति प्राप्त हो, वह पुरूष की अनुचरी नहीं सहचरी बने तथा आत्मनिर्णय के अधिकार की तेजस्विता से संपन्न होकर सामाजिक-सांस्कृति समरसता की सिद्धि में बराबर की भागीदारी निभाए।

शिक्षा महिला-सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। यह आर्थिक शक्ति एवं स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा द्वारा यह आशा की जाती है कि यह महिलाओं की कुल सहभागिता दर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि यह आय प्राप्त करने की आकांक्षाओं, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को बढ़ाती है और साथ ही परम्परावादी समाज एवं संस्कृति के बंधनों की शक्ति को कमजोर करती है। प्रश्न यह उठता है कि क्या शिक्षा महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह नहीं अतः प्रस्तुत अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा सही मायने में महिलाओं का सशक्त करने में एफल हो पा रही है। यह शिक्षित महिलाओं में सशक्तिकरण के लक्षण निर्णयन क्षमता में वृद्धि अधिकारों के प्रति जागरूकता इत्यादि संकेत परिलक्षित होते हैं।

साहित्य पुनरावलोकन

किसी भी शोध कार्य में अंतर्दृष्टि विकसित करने में साहित्य पुनरावलोकन का विशेष महत्व होता है। साहित्य किसी भी अनुसंधान कार्य की नींव होती है। साहित्य पुनराक्लोकन से तात्पर्य उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोशों, पत्र-पत्रिकाओं एवं अभिलेखों से है। जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ताओं को अपनी समस्या का चयन, अनुसंधान प्रश्नों का निर्माण करने में अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। प्रस्तुत विषय का अध्ययन करने वालों में किशोर, सुनीता एवं गुप्ता कमल, नायक, पुरूषोत्तम एवं महनता, विदिजा, राकेश चन्द्र ने संगवान, नूतन, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमा, राय टी.के. एवं एस. निरंजन आदि प्रमुख है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण में महिला शिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन करना।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन निम्न दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1. समाज विज्ञान विषय के दृष्टिकोणों में अत्यनत महत्वपूर्ण है।
2. महिला अध्ययन के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
3. क्रियात्मक शोध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

समाज विज्ञान एक नवीन विकासशील विषय है। इसके विषय क्षेत्र का निरन्तर विकास होता जा रहा है। प्रस्तुत अध्ययन महिला विकास के सभी विचारधाराओं से सम्बन्धित अनेक दृष्टिकोणों का विश्लेषण करता है। अतः समाजशास्त्रीय शोध कोष को समृद्ध करने की दृष्टि से यह अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

वर्तमान समय से समाज विज्ञानों में महिला अध्ययनों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। जिसका मुख्य कारण महिला सम्बन्धी विषयों के अध्ययनों सैद्धान्तिक आधार पदान करना है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिर्फ शिक्षा की योजनायें बनाना ही काफी नहीं बल्कि उनके क्रियान्वयन के प्रति सचेत होना भी आवश्यक है। अतः महिला अध्ययन की दृष्टि से भी इस अध्ययन का विशेष महत्व है।

स्त्री संबंधी अवधारणाओं का विश्लेषण

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में पुरूषों के बराबर लैंगिक समानता के आधार पर उन्हें वैधानिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान करना है।

शिक्षा

शिक्षा समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा से एक नई चेतना प्राप्त होती है। जिससे नागरिक, विशेषकर महिला वर्ग को अपने अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाने में सहायता मिलती

है। इस प्रकार इस प्रकार शिक्षा अन्तर्निहित शक्तियों या गुणों का बाहर की ओर सर्वांगीण विकास करना है।

अध्ययन का क्षेत्र

किसी भी अध्ययन के लिए भौगोलिक क्षेत्र का चयन करना आवश्यक होता है। प्रस्तुत अध्ययन में वनस्थली विद्यापीठ, महिला विद्यालय का चुनाव किया गया है। जो राजस्थान राज्य के टोंक जिले में स्थित है। वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था है। विद्यापीठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय मानय संस्थान घोषित किया गया है। वनस्थली विद्यपीठ एसोसिएशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज तथा एसोसिएशन आफ कामनवेल्थ यूनिवर्सिटीज का सदस्य है।

वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 6 अक्टूबर 1935 को श्री शान्ताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से हुई जो बाद में वनस्थली के रूप में विकसित हुई महिलाओं का सशक्त करने के लिए आवश्यक है कि उनका सर्वांगीण विकास हो। वनस्थली विद्यापीठ में सर्वांगीण शिक्षा देने की दृष्टि से एक विशिष्ट शिक्षा योजना 'पंचमुखी' शिक्षा का निर्माण किया गया है। पंचमुखी शिक्षा से तात्पर्य शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कला-विषयक शिक्षा, नैतिक शिक्षा बौद्धिक शिक्षा से है।

निदर्शन

किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए समस्त जनसंख्या का अध्ययन कर पाना असंभव नहीं परन्तु कठिन अवश्य है। अतः अध्ययन के लिए थोड़े से व्यक्तियों के समूहों को लिया जा सकता है। जो समग्र का प्रतिनिधित्व करें तथा जिस पर किए गये अध्ययन से समग्र के निष्कर्ष निकाले जा सकें।

प्रस्तुत अध्ययन में स्तरित निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह विविध गुणों वाले समग्र में से निदर्श का चयन करने के लिए उपयुक्त है। इस विधि के अनुसार पहले समग्र को उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अनेक सजातीय खण्डों में या स्तरों में बाँट लिया जाता है। तत्पश्चात् उन स्तरों में से अलग-अलग दैव निदर्शन पद्धति द्वारा इकाइयां चुन ली जाती हैं।

उत्तरदात्रियों का चयन

अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कर्ता ने वनस्थली विद्यापीठ की विभिन्न संकायों जैसे प्रबंध संकाय, विज्ञान संकाय, मानविकी संकाय एवं कला संकाय को अध्ययन के समग्र के रूप में लिया गया है। तत्पश्चात् व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विभाजित कर इनमें से स्तरीकृत निदर्शन पद्धति द्वारा प्रथम चरण में प्रबंधन, कम्प्यूटर विज्ञान में से कम्प्यूटर विज्ञान तथा कला एवं मानविकी संकाय व विज्ञान संकाय में से कला एवं मानविकीय संकाय को लिया गया। द्वितीय चरण में कम्प्यूटर विज्ञान संकाय तथा कला एवं मानविकी संकाय में से स्नातक व स्नातकोत्तर की छात्राओं में से स्नातकोत्तर की छात्राओं का चयन किया गया। तृतीय चरण में एमसी.ए. व एम.टेक. की छात्राओं में से एम.सी.ए. तथा कला एवं मानविकी संकाय में से एम.ए. की छात्राओं का चयन किया गया। चूंकि 10 प्रतिशत न्यादर्श किसी भी समग्र का उपर्युक्त प्रतिनिधित्व करता है। अतः चतुर्थ व अंतिम चरण में एम.सी.ए. के 555 तथा एम.ए. की 333 छात्राओं में से 10 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया गया। इस

प्रकार न्यादर्श के रूप में 55-50 व 33.30 इकाइयां प्राप्त हुई। इन छात्राओं का चयन लाटरी विधि के माध्यम से किया गया। जिसे निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है :

उत्तरदात्रियों के चयन का आधार

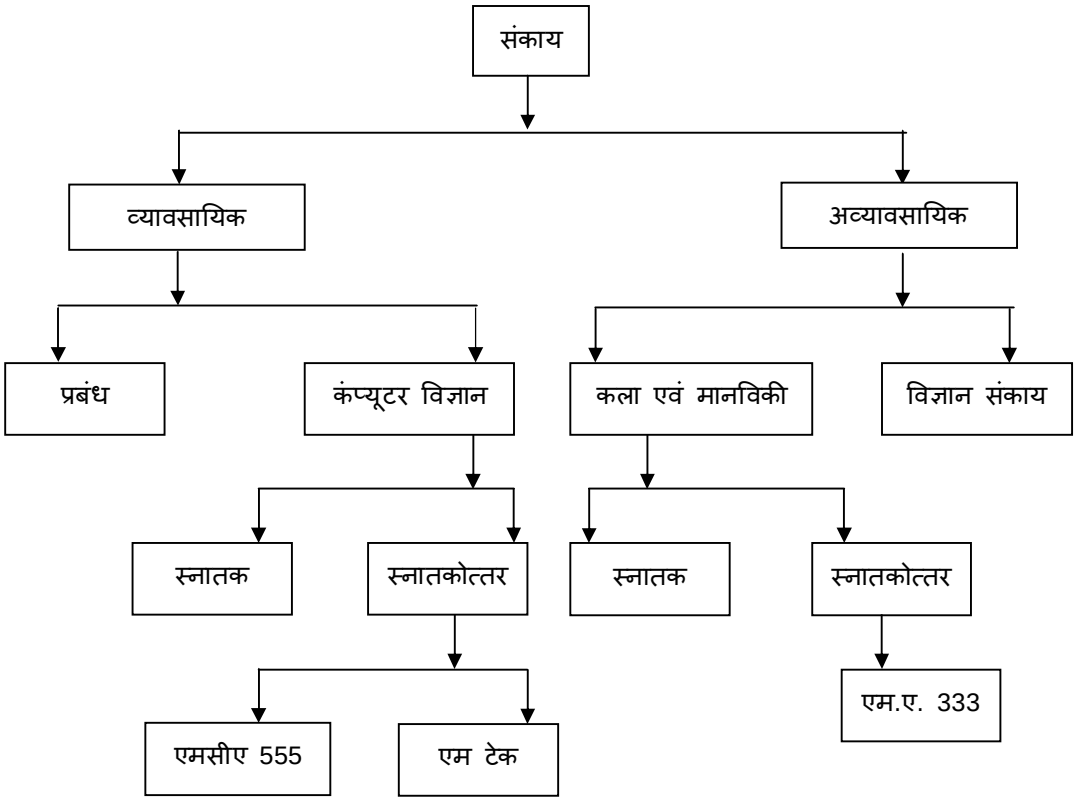

इस प्रकार उक्त अध्ययन में अध्ययन हेतु इकाईयों को क्रमशः एम.सी.ए. से 50 एवं एम.ए. से 30 तक ही परिसीमित रखा गया है। दोनों संकायों में से कुल 80 छात्राओं का चयन किया गया है।

तथ्य संग्रह की प्रविधि

न्यादर्श का चुनाव करने के पश्चात् तथ्य संग्रह के लिए प्रविधि का चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। जिसकी सहायता से वह आंकड़े एकत्रित करता है। प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। अतः तथ्य संग्रहण हेतु प्रश्नावली प्रविधि का उपयोग किया गया तथा प्रश्नावली का निर्माण अध्ययन के अनुरूप किया गया है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रश्न समाजशास्त्रियों के लिए तथा महिला अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। विगत वर्षों में समाज में जो परिवर्तन हुए हैं उनका महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं के विकास में शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये आज सभी स्वीकार करने लगे हैं। शिक्षा के प्रसार से महिलाओं में जिस चेतना का विकास हुआ उसका प्रत्यक्ष प्रभापव उनमें विकसित होने वाली निर्णयन क्षमता व अधिकारों के प्रति चेतना के रूप में देखा जा सकता है। इसके द्वारा महिलायें हर क्षेत्र में आगे आयी हैं।

महिला विकास के प्रथम चरण में महिलाओं में शिक्षा का विकास हुआ, जिससे उनमें आत्मनिर्भर होने की प्रवृत्ति विकसित हुई परन्तु महिलाओं के इस विकास पर उनकी पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव भी होता है। परिवार में जिस प्रकार का वातावरण एवं जिस प्रकार के शिक्षा के अवसर दिये जाते हैं। उसी के अनुसार उनका विकास होता है तथा वे सशक्त होती हैं।

निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की छात्राओं एवं अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों की छात्राओं की निर्णयन क्षमता व अधिकारों के उपयोग में अन्तर है। निर्णयन क्षमता के संदर्भ में दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत उत्तरदात्रियां अधिक सजग प्रतीत होती हैं। जिसका कारण भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संरचना का प्रभाव है, जो छात्राओं को आत्मविश्वासी व बहिर्मुखी बनाता है। यह उनका ज्यादा से ज्यादा विकास कर उन्हें सशक्त बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के सम्पूर्ण विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, परन्तु व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों के तुलनात्मक अध्ययन से यह तथ्य उजागर होते हैं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्राएं अव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्राओं की तुलना में अधिक सशक्त हैं। लेकिन तथ्यों का संयुक्त विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि थोड़ा-बहुत अन्तर होने के बावजूद सामान्य तौर पर महिला शिक्षा सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 यादव, रविप्रकाश, रागिनी दीप एवं पूजा राय, लैंगिक हिंसा एवं महिला सशक्तिकरण 2010, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ 156

2 गोयल सुनील, भारतीय समाज में नारी, 2003, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ 1-3

कौटिलय अर्थशास्त्र 2, बरेली संस्कृति संस्थान67

3 आप्टे, प्रभा, भारतीय समाज में नारी, क्लाकिस पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1996, पृष्ठ 26, 27

4 खन्ना, गिरिजा एवं मरियम्मा, ए वरगीज, इण्डियन वुमेन टुडे, दिल्ली विकास, 1978, पृष्ठ 3-4

5 गोयल, सुनील, भारतीय समाज में नारी, 2003, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ 4-5

6 यादव, रवि प्रकाश, रागिनी दीप एवं पूजा राय, लैंगिक हिंसा एवं महिला सशक्तिकरण, 2010, पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ 156

7 शर्मा, शीतल, एजुकेटेड वीमन, इम्पावर्ड वीमेन 2006, योजना अक्टूबर, नई दिल्ली, पृष्ठ 52

8 सरोज कुमार वर्मा, योजना अक्टूबर, 2008

9 यादव, रवि प्रकाश, रागिनी दीप एवं पूजा राय, लैंगिक हिंसा एवं महिला सशक्तिकरण, 2010, पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ 160-168

10 त्रिपाठी, अंजली, विभिन्न संकायों में अध्ययनरत स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं की निर्णय लेने की क्षमता का अध्ययन, 2009-2010, अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान

11 त्रिपाठी, अंजली, विभिन्न संकायों में अध्ययनरत स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं की निर्णय लेने की क्षमता का अध्ययन, 2009-2010, अप्रकाशित लघु शोध, प्रबंध शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान
www.unfba.org

12 महेश, जेण्डर, गर्ल एण्ड वुमेन एजुकेशन 2006, मुरारी लाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली,